न्यायालयः—अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः—पी०सी० आर्य)

> दाण्डिक अपील क्रमांक— 45<u>/15</u> संस्थित दिनांक 28.01.15 फाईलिंग नंबर—230303000992015

वासुदेव गुर्जर पुत्र रतीराम गुर्जर आयु 40 साल निवासी ग्राम घिरोंगी, थाना मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र० .....आरोपी / अपीलार्थ

## ब ना म

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

....प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए०जी०पी० आरोपी/अपीलार्थी द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर एड०

> / / नि र्ण य / / (आज दिनांक 14 / 06 / 2016 को घोषित किया गया)

- 1. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दांण्डिक अपील का निराकरण किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थी ने जे0एम0एफ0सी0 श्री एस0के0तिवारी के द्वारा दाण्डिक प्र0क0 557/12 इ0फी0 पुलिस थाना मालनपुर वि0 वासुदेव में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 1/1/15 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है । जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा 25(1)(1—ख)(क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000 एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है ।
- 2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 5—5—12 को सूर्या फेक्ट्री के पीछे टावर के पास राकेश प्रसाद ए०एस०आई० को जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि घिरोंगी के गांव का बासुदेव पुत्र रतीराम गुर्जर सूर्या फैक्ट्री के पीछे कट्टा लिये किसी बारदात को अंजाम देने के लिये खडा है । उक्त सूचना की तस्दीक हेतु वह मय फोर्स को अवगत कराकर मुखबिर के बताये स्थान के पास पहुंचा तो वासुदेव अर्थात आरोपी भागने लगा तब उसे घेरकर पकडा गया । उसकी जामा तलाशी ली गयी तो वाये तरफ में एक 315 बोर का कट्टा लोडिंग हालत में उसें मिला । कट्टा खोलकर देखा तो चेम्बर में 315 बोर का एक जिन्दा राउण्ड मिला कट्टा व राउण्ड रखने वाबत् लायसेन्स चाहा न होना बताया । आरोपी का यह कृत्य धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय होने से रूबरू कट्टा एवं राउण्ड जप्त किया गया । आरोपी को गिरफतार किया जाकर मय आरोपी से कट्टा राउण्ड के वापस थाना आया तत्पश्चात् अपराध कमांक 57/12 पर अपराध की कायमी की गयी एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
- 3. अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 25(1)(1—ख)(क) आयुध अधिनियम का आरोप पाये जाने से आरोप पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण की मांग की है ।
- अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव साक्ष्य तथा अंतिम तर्क श्रवण उपरांत आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुये कंडिका–1 के अनुसार दण्डित किये जाने का आदेश

दिया गया है।

- 5. अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व दण्डादेश दिनांक 1/1/15 विधि विधान के विपरीत है । अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है तथा आरोपीगण से रंजिश रखते हैं । प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है तथा चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में अहम विरोधाभाष है । अ०सा०१ राकेश प्रसाद ने ही अपीलार्थी को पकडा और थाने पर आकर अप०कं० 57/12 कायम किया और प्रथम सूचना लेखबद्ध की तथा उसी ने ही एफ०आई०आर० लेखबद्ध करने के पूर्व ही पूरी तफतीस अवैधानिक रूप से की है । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और आदेश अपास्त कर आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।
- 6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्द् विचारणीय है :-
  - "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी / आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"
  - 2. े क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

## —ः— <mark>निष्कर्ष के आधार</mark> —ः— विचारणीय प्रश्न कमांक—1 एवं 2 का निराकरण

नोट:— उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- आरोपी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया है कि ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०–1 और आरक्षक राकेश कुमार अ०सा०–2 जो कि पुलिस साक्षी हैं और हितबद्ध हैं। तथा उनके कथनों में अहम विरोधाभाष आये हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जबिक घटना ऐसे स्थान की बताई गई है जहाँ लोगों का आना जाना बना रहता है। ऐसे में स्वतंत्र साक्ष्य का समर्थन प्राप्त न होना घटना को संदिग्ध बनाता है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर निर्णय करते समय कोई ध्यान नहीं दिया है। तथा मौके की कार्यवाही करने वाले ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०–1 के द्वारा एफ०आई०आर० भी लेखबद्ध की गई है और विवेचना भी की गई है। इसलिये उसकी कार्यवाही अवैधानिक है। और आरोपी / अपीलार्थी को सुनियोजित तरीके से झूंठा फंसाया गया है। अ०सा०–1 की कार्यवाही इसलिये भी संदिग्ध है कि वह जप्ती की सामग्री सील चपडी आदि अपने साथ लेकर जाना कहता है जबिक वह गस्त में गया था और गस्त के लिये उक्त सामग्री साथ लिये जाना बिल्कुल असंभव है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कल्पना और कयास पर आधारित है तथा उन्होंने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका–15 पर भी बल दिया है। जिसमें जप्ती साबित न होने का उल्लेख बताया है इसलिये आरोपी/अपीलार्थी की उक्त दाण्डिक अपील स्वीकार कर उसे दोषसिद्ध अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा कड़ा विरोध करते हुए अपील निरस्त करने का निवेदन किया है।
- 8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । साक्ष्य का अध्ययन किया गया। दाण्डिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि दाण्डिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलीय न्यायालय को भी अपील का निराकरण करते समय साक्ष्य का विवेचन करना चाहिए। जैसा कि

न्याय दृष्टांत मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध बल्लू उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 मध्यप्रदेश विधि भास्वर पेज-1 में प्रतिपादित किया गया है।

- अभियोजन कथानक मुताबिक घटना रात करीब 8.00 बजे की मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूर्या फैक्ट्री के पीछे टॉवर के पास की बताई गई है और इस आशय का घटनाकम रहा है कि ए०एस०आई० राकेश प्रसाद पुलिस स्टाफ के साथ घटना दिनांक को इलाका भ्रमण में वारंटियों की तलाश व विवेचना के लिये गया था। तब उसे गस्त के दौरान हरीराम का पूरा चौराहा पर मुखबिर से आरोपी / अपीलार्थी के संबंध में सूचना मिली थी कि सूर्या फैक्ट्री के पीछे टॉवर के पीछे किसी वारदात को अंजाम देने के लिये खड़ा है जिस पर से उसने वहाँ जाकर देखा और भागने पर उसे घेराबंदी करके पकडा और तलाशी लेने पर लोडेड 315 बोर का कटटा आरोपी/अपीार्थी के कब्जे से मिलने के कारण और उसका कोई शस्त्र लायसेन्स न होने के कारण उसे गिरफतार कर कार्यवाही की गई। मौके की कार्यवाही हरीमोहन गुर्जर और आरक्षक राकेश कुमार के समक्ष करना बताई गई है। हरीमोहन गुर्जर को अभियोजन का साक्षी बनाया गया था किन्तु उसे अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। तथा मौके की कार्यवाही के संबंध में अभिलेख पर कार्यवाही करने वाले ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०–1 व आरक्षक राकेश कुमार अ०सा०–२ की ही साक्ष्य है। दोनों पुलिस साक्षी हैं किन्तू पुलिस साक्षी होने के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय मान कर घटना को संदिग्ध माने जाने का जो तर्क किया गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को वगैर स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन के स्वीकार नहीं किया जा सकता हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी आलोच्य निर्णय में इस बिन्द् को निष्कर्षित किया
- 10. न्याय दृष्टांत नाथूसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 1973 सुप्रीमकोर्ट पेज—2783 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंच साक्षियों के समर्थन न करने के बावजूद पुलिस साक्षी पर विश्वास किया जा सकता है। यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय पाई जावे। एक अन्य न्याय दृष्टांत करमजीतिसिंह विरुद्ध स्टेट (2003) वोल्यूम—5 एस0सी0सी0 पेज—291 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी की साक्ष्य की तरह ही लिया जाना चाहिए और यह उपधारणा कि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, पुलिस के मामले में भी लागू होता है तथा विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो। ऐसे में अ0सा0—1 व 2 पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे पुलिस साक्षी हैं किन्तु यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में जबिक अन्य स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं, उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्मता से एवं सावधानी से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता अवश्य हो जाती है। लेकिन दूसरे पंच साक्षी हरीमोहन गुर्जर का साक्ष्य न कराये जाने के आधा पर अ0सा0—1 व 2 की साक्ष्य का नकारा नहीं जा सकता है।
- 11. ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०—1 के द्वारा इस आशय की साक्ष्य दी गई है कि दिनांक 05.05.12 को वह थाना मालनपुर में पदस्थ था और उक्त दिनांक को गस्त में था। गस्त के दौरान उसे मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली थी कि ग्राम घिरोंगी का हिस्ट्रीशीटल वासुदेव गुर्जर सूर्या फैक्ट्री के पीछे कट्टा लिये हुए किसी वारदात करने की नीयत से खडा है। तब वह उक्त सूचना पर से मय फोर्स के उक्त स्थान पर गया था। वासुदेव गुर्जर पुलिस को देखकर भागने लगा था जिसे घेरकर पकड़ा गया था और उसकी जामा तलाशी लेने पर कमर में बांई तरफ 315 बोर का लोडेड कट्टा उस पर मिला था जिसके चैम्बर में जिन्दा कारतूस लगा था। जिसे रखने का कोई लायसेन्स आरोपी के पास नहीं था। इसलिये उसका कृत्य धारा—25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से उससे कट्टा कारतूस की जप्ती की

जाकर प्र0पी0—1 का जप्ती पत्रक बनाया तथा आरोपी को प्र0पी0—2 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार किया गया। तथा थाना वापिस आकर कायमी की थी। अप0क0—57/11 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0—3 उसने स्वयं लेखबद्ध की थी। विवेचना कायमी पश्चात प्र0आर0 सत्यवीर के सुपुर्द की गई थी। तथा कार्यवाही के संबंध में रोजनामचासान्हा लिखा गया था जो साक्षी ने प्र0पी0—4 बताया है और उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं। साथ ही यह भी कहा है कि आरोपी से जो 315 बोर का कट्टा जप्त हुआ था वह आर्टिकल ए—1 है तथा जो कारतूस जप्त हुआ था वह आर्टिकल ए—2 है। उक्त कार्यवाही का पूर्ण समर्थन राकेश कुमार अ0सा0—2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

- ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०–1 ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे घटना दिनांक को प्र0आर0 सत्यवीर, आरक्षक राकेश कुमार और सैनिक उमेश को लेकर प्राईवेट मार्शल वाहन से गये थे। वह वाहन किसका था, उसका क्या नंबर था यह उसे अवश्य मालूम नहीं है। मुखबिर की सूचना उसे मोबाईल के माध्यम से आई थी। किस नंबर से आई थी, वह बताने में असमर्थ रहा है। उसने यह भी कहा है कि थाने से गस्त के लिये रोजनामचासान्हा में उल्लेख करके निकले थे। कितने बजे निकले यह उसे ध्यान अवश्य नहीं है किन्तू रोजनामचासान्हा में लिखा था। थाने से निकलने के बाद वह हनुमान चौराहा, फैक्ट्री एरिया, हरीराम का पूरा, खुमानपुरा, गुरीखा, लटकनपुरा में वह इलाका भ्रमण में गये थे। हरीराम का पुरा होते हुए लंटकनपुरा और गुरीखा होते हुए अन्य प्रकरणों के वारण्ट तामीली व जांच पडताल के लिये गये थे। वापिसी भी रोजनामचासान्हा में अंकित की थी। लटकनपुरा, गुरीखा, कब पहुंचे, किस किस के दरवाजे पर क्या कार्यवाही की गई, यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है। पैरा–3 में यह बताया है कि थाने से रवाना होते समय वह अपने साथ वारंट, केसडायरी और विवेचना का सामान लेकर गया था। पैरा–4 में उसने इस बात से इन्कार किया है कि हमेशा ही वह जप्ती का सामान लेकर चलता है। मौके पर आरोपी के अलावा हरीमोहन गुर्जर मिला था और कोई वहाँ नहीं था। ६ ाटनास्थल उसने टॉवर के पास बताया है वहाँ अन्य कोई नहीं था। आरोपी किस रंग के कपडे पहने था. यह बताने में अ०सा०–1 व 2 दोनों ने असमर्थता व्यक्त की है।
- 13. आरोपी को पकड़ने के संबंध में की गई घेराबंदी के बाबत अ0सा0—1 ने पैरा—4 में स्थिति स्पष्ट की है और यह बताया है कि उसने व प्र0आर0 सत्यवीर ने आरोपी के पीछे पूर्व दिशा से जाकर और आरक्षक राकेश ने दक्षिण दिशा से आकर घेरा था। उत्तर और पश्चिम दिशा से कोई नहीं गया। क्योंकि उसके पहले ही आरोपी को पकड़ लिया था। उसने यह भी बताया है कि कट्टे को हाथ में पकड़कर उसने हरीमोहन व अन्य फोर्स के लोगों को दिखाया था। पूरी कार्यवाही में पौन घण्टे का समय लगना कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि कपड़ा, चपड़ी और जप्ती की सामग्री उस पर पहले से थी लेकिन 24 घण्टे नहीं रखता है, आवश्यकता होने पर साथ में ले जाते हैं। पैरा—5 में उसने यह स्वीकार किया है कि रोजनामचासान्हा प्र0पी0—4 में जप्त सामग्री का उल्लेख नहीं किया है। साक्षियों के कथन उसने नहीं लिखे थे। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी को पकड़कर वे लटकनपुरा और गुरीखा ले गये थे।
- 14. इस प्रकार से अ०सा०–1 के द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर बचाव पक्ष के सुझावों का समुचित उत्तर दिया गया है। प्र०पी०–4 क जो रोजनामचासान्हा की कार्बन प्रति जो प्रारंभिक साक्ष्य की श्रेणी की है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अ०सा०–1 व 2 के अलावा प्रधान आरक्षक सत्यवीर, और सैनिक उमेश को लेकर इलाका भ्रमण में गया था। आरोपी के संबंध में जानकारी मिलने पर तश्दीक हेतु वह सूर्या फैक्ट्री के पीछे टॉवर के पास भी गया था जहाँ आरोपी विद्यमान था और पुलिस को देखकर भागने लगा था जिसे घेराबंदी करके पकड़ा था और जामा तलाशी लिये जाने पर कमर में बांई तरफ लोडेड कट्टा खुरसे हुए मिला था। खोलकर देखने पर चैम्बर में 315 बोर का जिन्दा कारतूस पाया था। मौके पर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही करने का भी उल्लेख प्र०पी०–4 में है और थाना वापिस लाकर उसे पुनः बंद हवालात किये जाने, कट्टा

कारतूस एच0सी0एम0 को सुपुर्द किये जाने व मालखाने में जमा किये जाने का भी उल्लेख है। प्र0पी0—4 में इस बात का भी उल्लेख है कि गस्त में उपरोक्त वर्णित ग्रामों में वह गये थे तथा अप0क0—56/12 धारा—136 विद्युत अधिनियम की विवेचना में वह गये थे। विवेचना के लिये जाने पर जप्ती की सामग्री साथ में ले जाना स्वाभाविक है। इसलिये आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि जप्ती सामग्री को पूर्व से ही साथ में लेकर जाना अस्वाभाविक है या सुनियोजित तरीके से अपराध में फंसाये जाने का जो तर्क किया गया है वह उक्त स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

- अ०सा०–1 ए०एस०आई० राकेश प्रसाद के पैरा–5 में आरोपी को पकडकर लटकनपुरा और गुरीखा ले जाने का जो सुझाव दिया गया है उससे तो इस बात की पृष्टि होती है कि आरोपित घटना दिनांक को अ0सा0–1 के द्वारा आरोपी को पकडा अवश्य गया था। जहाँ तक सुनियोजित तरीके से झूंटा फंसाये जाने का प्रश्न है, इसके संबंध में न तो कोई सुझाव दिया गया है न ही कोई ऐसा प्रमाण अभिलेख पर है जिससे यह माना जा सके कि आरोपी/अपीार्थी की पुलिस से कोई पूर्व की बुराई या भलाई या रंजिश थी। जिसके कारण उसे झुंटा फंसाया जाता। रंजिश या बुराई के संबंध में किसी भी तरह का कोई सुझाव अ0सा0–1 व 2 को नहीं दिया गया है। इसलिये झूंटा फंसाये जाने का तर्क केवल औपचारिक स्वरूप का ही परिलक्षित होता है और प्र0पी0–4 के रोजनामचासान्हा से मौके पर वास्तविकता में कार्यवाही किये जाने की पृष्टि होती है। अ0सा0-1 पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि जिस मोबाईल से उसे सूचना मिली उसका उसने उल्लेख रोजनामचासान्हा में नहीं किया है। न ही साक्ष्य में बताया है क्योंकि मुखबिर की सूचना को सार्वजनिक किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उसे गुप्त ही रखा जाना होता है। वारंटियों की तलाश के लिये भी जाने का उल्लेख अ०सा०–1 ने किया है और कथानक में भी है। ऐसे में जप्ती, गिरफतारी पत्रकों और सील नमूना आदि के साथ लेकर जाना भी कतई अस्वाभाविक या असंभव नहीं माना जा सकता है। किस गांव में क्या कार्यवाही की, यह बताना अ०सा०–1 के लिये आवश्यक भी नहीं है क्योंकि उसे गस्त के दौरान ही सूचना मिली और सूचना की तश्दीक करने पर आरोपी/अपीर्थी को पकडा गया। इससे यह ही स्पष्ट होता है कि वारंटियों की पकड व आगे की तलाश के लिये वह गया ही नहीं और आरोपी / अपीार्थी को जप्त सामग्री के साथ थाने लेकर आया। रात 8.00 बजे से 8.45 बजे तक की कार्यवाही अ0सा0–1 ने बताई है जो मौके की कार्यवाही और एफ0आई0आर0 लिखने तक की है। अर्थात् अ०सा०–1 के अभिसाक्ष्य में कोई तात्विक स्वरूप की विषंगति या विरोधाभाष नहीं है। आरोपी के कपड़ों का रंग न बता पाना भी अ०सा०–1 के अभिसाक्ष्य को संदिग्ध नहीं बनाता है।
- 16. अ०सा०—1 ने यह स्पष्ट किया है कि विवेचना उसने प्र०आर० सत्यवीर को सौंपी थी और पैरा—5 में भी उसने साक्षियों के कथन स्वयं लिखने से इन्कार किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण का परिवादी और विवेचक एक ही पुलिस अधिकारी नहीं है तथा कथन लेखबद्ध करने वाले प्र०आर० सत्यवीर के साक्षी के तौर पर परीक्षित न कराये जाने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। क्योंकि विवेचक का अभिसाक्ष्य विरोधाभाषों के स्पष्टीकरण बाबत ही महत्वपूर्ण होता है। जबिक अ०सा०—1 व 2 के अभिसाक्ष्य में तात्विक स्वरूप के विरोधाभाष नहीं आये हैं और आरक्षक राकेश कुमार अ०सा०—2 ने कार्यवाही का समर्थन किया है जिसमें वह दरोगाजी के पास मुखबिर का फोन आने की बात भी स्वीकारता है। उसके साथ गस्त के लिये थाने से शाम 6.00 बजे चलना और 7—8 बजे के दरम्यान मुखबिर की सूचना मिलना, दो तीन घणटे विवेचक के साथ रहना भी बताता है। तथा आरोपी की बाई तरफ कमर से कट्टा मिलने की भी वह पुष्टि करता है। दो दस्तावेजों पर वह घटनास्थल पर ही हस्ताक्षर करना बताता है जिनमें वह एक कथन पर और दूसरे गिरफ्तारी पर बताता है। किन्तु इसके आधार पर इसलिये संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह जप्ती की स्पष्ट अभिसाक्ष्य भी पैरा—1 में ही दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में भी आरोपी के कब्जे से कट्टे की बरामदगी बताता है। इसलिये अ०सा०—1 व 2 के

अभिसाक्ष्य को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वसनीय मानने में कोई विधिक त्रुटि या भूल नहीं की है। आरोपी / अपीर्थी की ओर से अ०सा०-1 की इस साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है कि आर्टिकल ए-1 का कट्टा व आर्टिकल ए-2 का कारतूस उससे बरामद नहीं हुआ।

- जहाँ तक प्र0पी0-4 के रोजनामचासान्हा पर किसी प्रकार की सील न लगी होने का उल्लेख है, उससे भी अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ए से ए भाग पर अ०सा०–1 के ही हस्ताक्षर उसने स्वीकार किये हैं। नाम पदनाम की मुद्रा अवश्य नहीं लगी है जो कि तात्विक स्वरूप की कमी नहीं मानी जा सकती है तथा ए से ए भाग के हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक का न होना भी कोई महत्व नहीं रखता है। क्योंकि रोजनामचासान्हा का जो विवरण है उसमें प्राथमिक पंक्ति में ही नकल रोजनामचासान्हा दिनांक 05.05.12 का उल्लेख है। जहाँ तक यह आपत्ति उठाई गई है कि प्र0पी0-1 के जप्ती पत्रक में कॉलम नंबर-13 में जो सील नमूना अंकित किया गया है उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जबकि प्र0पी0-1 का अवलोकन किये जाने पर कॉलम नंबर—13 में जो सील छाप का नमूना अंकित है उसकी आरोपी/अपीर्थी के हस्ताक्षर कराये गये हैं और उक्त कॉलम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जिससे संपत्ति प्राप्त या जप्त हुई है उसके हस्ताक्षर या अंगुठा निशानी होना चाहिए जो वासुदेव का ही है। इसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। इसलिये कॉलम नंबर-13 की नियमानुसार पृष्टि हो जाती है। औरा प्र0पी0-1 में कट्टा कारतूस को मौके पर ही सील्ड किये जाने का भी उल्लेख है जिसका नोट लगाया गया है। सील छाप के नमूने से जप्ती मौके पर ही होना प्रमाणित होता है। अ०सा०–2 ने भी प्र०पी०–1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर घटनास्थल पर घटना दिनांक को ही करना बताये हैं। थाने पर करने से इन्कार किया है। इसलिये अ0सा0–1 व 2 की साक्ष्य से प्र0पी0–1 का जप्ती पत्र प्रमाणित हो जाता है क्योंकि उनके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई भी कारण अभिलेख पर नहीं है।
- 18. अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका—75 में आरोपी / अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत का उल्लेख विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया था। जिसे प्रकरण में अनुसरण योग्य नहीं माना। कट्टा व राउण्ड की जप्ती आरोपी से प्रमाणित नहीं होती शब्द टंकित हो गया है जबिक संपूर्ण निर्णय का अध्ययन करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित माना गया है जिससे ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी से जप्ती प्रमाणित हुई है, लिखा जाना था और भूलवश नहीं शब्द भी लिख गया है इसलिये उसके आधार पर आरोपी / अपीलार्थी कोई लाभ नहीं पा सकता है। न ही निर्णय दूषित माना जा सकता है। क्योंकि वह टंकणीय त्रृटि या भूल की श्रेणी में आता है।
- 19. ए०एस०आई० राकेश प्रसाद अ०सा०—1 के द्वारा मौके की कार्यवाही पश्चात आरोपी को मय जप्तशुदा सामग्री के थाने लाकर प्र०पी०—3 की एफ०आई०आर० कायम करना भी बताया है। इसके आधार पर वह विवेचक की श्रेणी में नहीं आता है। मौके की कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा ही यदि एफ०आई०आर० भी दर्ज की जाती है तो वह अवैधानिकता की श्रेणी में नहीं आती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध जयपाल (2004) वोल्यूम—5 एस०सी०सी० पेज—223 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। आर्टिकल ए—1 का 315 बोर का देशी कट्टा और आर्टिकल ए—2 का 315 बोर का ही जीवित कारतूस रखन का आरोपी/अपीलार्थी के पास कोई शस्त्र लायसेन्स नहीं पाया गया है और जप्ती प्रमाणित हुई है इसलिये आयुध अधिनियम 1959 की धारा—3 का आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है।
- 20. जहाँ तक जप्त किये गये दोनों कट्टा कारतूस की प्रकृति का प्रश्न है कि वह आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आते हैं या नहीं, इस संबंध में अभिलेख पर जप्तशुदा कट्टा कारतूस की जांच करने वाले आरक्षक सुरेश दुबे अ०सा०–४ ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 14.05.12 को पुलिस लाईन भिण्ड में आर्म्स मुहरिंर के पद पर रहते हुए थाना मालनपुर के अप०क०–57 / 12 धारा–25 / 27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा व कारतूस की जांच करना

बताया है। कट्टा चैक करने पर उसका एक्शन चालू पाया था जिससे फायर किया जा सकता था। तथा कारतूस की पैंदी पर 8 एम०एम०के०एफ० लिखा था जो जीवित था। जिसकी उसने प्र0पी0—6 की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है। कट्टा व कारतूस सफेद कपडे में सीलबंद होकर प्राप्त होना व जांच उपरांत पुनः सफेद कपडे में सील्ड करके थाने को वापिस करना भी उसने बताया है। उसके अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-6 के संबंध में यह तथ्य अवश्य आया है कि प्र0पी0-6 पर उसके हिन्दी, अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर हैं और हिन्दी में जो हस्ताक्षर उसने किये, उसके नीचे दिनांक नहीं है। इससे उसकी रिपोर्ट संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है क्योंकि प्र0पी0-6 का अवलोकन करने पर जांचकर्ता के रूप में ए से ए भाग में जो उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा हिन्दी में जो विवरण लिखा है उसमें हस्ताक्षर के वजाय नाम पद नाम का उल्लेख है क्योंकि हिन्दी में जो हस्ताक्षरों के अंदर से ही शब्द लिखे गये हैं उसमें आर्म्स मुहर्रिर 1066 सुरेश दुबे पुलिस लाईन भिण्ड लिखा हुआ है और अ0सा0–4 की हस्तलिपि में है। संभवतः हस्तलिपि में होने के कारण वह उसे हिन्दी के हस्ताक्षर बता रहा है जबकि वह नाम पदनाम है। यदि हस्ताक्षर भी मान लिये जावें तो उससे प्र0पी0—6 की जांच रिपोर्ट प्रभावित नहीं होती है। बल्कि उसे सीलबंद अवस्था में प्राप्त होना प्र0पी0-1 की घटनास्थल पर कट्टा कारतूस को सील्ड किये जाने को बल देता है और अ0सा0-6 की रिपोर्ट अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है जिससे भी इस बात की पृष्टि हो जाती है कि जप्तशुदा वस्तु आग्नेय शस्त्र ही है।

21. आयुध अधिनियम 1959 की धारा—39 के अंतर्गत विचारण के लिये अभियोजन चलाने की जिला दण्डाधिकारी की भी पूर्व अनुमति ली जाना आवश्यक है। इस संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गई है जिसमें राजू शाक्य अ०सा०–3 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 27.06.12को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के साथ थाना मालनपुर के रहना बताते हुए अप०क०–57 / 12 की केस डायरी व जप्तशुदा अवस्था में शस्त्र प्रस्तृत होने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्र0पी0-5 की अभियोजन चलाने की स्वीकृति अवलोकन पश्चात दिया जाना बताया गया है। जिसके संबंध में भी अन्यथा कोई स्थिति प्रकट नहीं हुई है।इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बात से इन्कार किया है कि प्र0पी0-4 की भाषा एक समान नहीं लिखी है। तथा उसने यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज उसके द्वारा ही टाईप किया गया है। इससे इस बात की पृष्टि हो जाती है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति दिये जाने के पूर्व न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए अनुमति प्रदान की गई थी जिससे प्रकरण में धारा–39 आयुध अधिनियम 1959 की पालना भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा–25(1)(1–बी)(ए)आयुध अधिनियम के अपराध में आरोपी / अपीलार्थी को दोषसिद्ध टहराने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। न ही यह माना जा सकता है कि साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। जिला दण्डाधिकारी की अभियोजन चलाने की स्वीकृति के संबंध में यह भी सुस्थापित विधि है कि जिला दण्डाधिकारी को शस्त्र स्वयं परीक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि न्याय दुष्टांत गुरूदेव सिंह उर्फ गोगा वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. आई.एल.आर. (2011) एम.पी. पेज-2053 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु विधिक बल नहीं रखते हैं इसलिये दोषसिद्धि के बिन्द् पर प्रस्तृत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

22. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, यह सही है कि अभिलेख पर आरोपी / अपीलार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी दण्डाज्ञा के बिन्दु पर निष्कर्ष निकालते समय इस बात का उल्लेख किया है तथा एक वर्ष का कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया है। वर्तमान समय में अवैध आग्नेयास्त्रों को साथ रखने की प्रवृत्ति युवावस्था के लोगों में बढती जा

रही है। खासकर कि भिण्ड जिले में ऐसा आमतौर पर बहुतायत में देखने व सुनने में भी मिलता है और अवैध शस्त्रों से अनेक बार गंभीर अपराध भी गढित होते हैं। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध अपराध जिसमें तीन साल तक के कारावास अर्थदण्ड के साथ दिया जा सकता है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एक वर्ष का ही सश्रम कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। जिसे किसी भी दृष्टि से अनुचित, अविवेकपूर्ण या अत्यधिक कठोर श्रेणी का नहीं माना जा सकता है। इसलिये दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

- आरोपी / अपीलार्थी की ओर से अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये 23. जाते हैं ।
- आरोपी / अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाकर उसे सजा वारण्ट के साथ 24. कारावास की सजा भूगताये जाने हेत् जेल भेजा जावे। तथा विचारण के दौरान आरोपी/अपीलार्थी द्वारा निरोध में काटी गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयारशुदा धारा-428 दप्रसं का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे।
- प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व कारतूस के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-32 को यथावत रखा जाता है।
- आरोपी/अपीलार्थी को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे।
- निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांकः 14 जून-2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

Just Andrews A